

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 जून 2022—ज्येष्ठ 20, शक 1944

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश

अनूपपुर, दिनांक 30 मई 2022

क्रमांक— 2653 /पांच/व.लि./नग.नि./बिजुरी/वार्ड परि./2022,:: मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 2693 फ. 37 सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार नीचे दी गई सारणी के कालम—दो में विनिर्दिष्ट नगर पालिका परिषद बिजुरी के संबंध में उक्त सारणी के तत्स्थानी कालम तीन में यथा विनिर्दिष्ट वार्डों की संख्या अवधारित करती है, अर्थात्—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	नगर पालिका परिषद का नाम (2)	वार्डों की संख्या (3)
01	नगर पालिका परिषद बिजुरी	20

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनिया मीना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 30th May 2022

No. 2693/पांच/व.लि./नग.नि./बिजुरी/वार्ड परि./2022,:: In the Exercise of the powers Conferred by Sub- section (1) Section 29 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No.37 of 1961) the State Government, hereby determine the extent of wards of Nagar Palika Bijuri, District Anuppur as per scheduled given bellow.

TABLE

Number (1)	Name of the Nagar Palika (2)	Number of Wards (3)
01	Nagar Palika Bijuri, District Anuppur	20

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SONIA MEENA, Collector.

अनूपपुर, दिनांक 30 मई 2022

क्रमांक- 2694 /पांच/व.लि./नग.नि./बिजुरी/वार्ड परि./2022,:: मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार नगर पालिका परिषद बिजुरी जिला अनूपपुर के वार्डों का विभाजन/विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्वारा अवधारित करती है:-

वार्ड क्र.	वार्ड का नाम	चौहद्दी
01	सरोजनी नायडू वार्ड	<p>उत्तर - थानगांव एवं कुदरी ग्राम की राजस्व सीमा।</p> <p>पूर्व - दुल्ही कुंड नाला, से स्टापडेम के संगम तक।</p> <p>दक्षिण - इस वार्ड की पूर्वी सीमा के प्रारंभिक स्थान से स्टाप डेम (मगरदहा नाला का मोड़)</p> <p>पश्चिम - स्टाप डेम से भगता की ओर जाने वाली सी.सी. सडक के दांयी ओर आंगनवाडी होते हुये संतोष केवट के घर से टांकी घाट नाला तक।</p>
02	राजेन्द्र प्रसाद वार्ड	<p>उत्तर - डी.बी. कालोनी के सामने श्रमिक सदन के बीचो-बीच सी.सी. सडक।</p> <p>पूर्व - बिजुरी कॉलरी श्रमिक सदन के पूर्वी भाग से माईनस कॉलोनी एवं बिजुरी बाजार जाने वाली सडक से बालमुकुन्द त्रिपाठी के घर तक।</p> <p>दक्षिण - कॉलरी क्वाटर नं. M/364 मनोज सिंह के घर से कॉलरी हॉस्पिटल के बगल वाली सडक से रामलाल चंद्रा का बाडा एवं मौहरी ग्राम की सीमा।</p> <p>पश्चिम - ग्राम मौहरी का पूर्वी हिस्सा स्टापडेम, हनुमान जी की मूर्ति।</p>
03	पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड	<p>उत्तर - कॉलरी क्वा. नं. 642 राज सिंह के सामने से संकट मोचन मंदिर मार्ग।</p> <p>पूर्व - सुरेश सैलून एवं आर.एन. सिंह कांम्पलेक्स के बीच की सडक।</p> <p>दक्षिण - संकट मोचन मंदिर के आगे जय सिंह का मकान एवं मौहरी ग्राम राजस्व सीमा।</p> <p>पश्चिम - तुलसी प्रजापति का घर तथा मगरदहा नाला एवं मौहरी ग्राम की राजस्व सीमा।</p>
04	रानी दुर्गावती वार्ड	<p>उत्तर - श्री राधेश्याम विहार के पश्चात् तथा डबल स्टोरी के पश्चिमी हिस्से में दुर्गा पण्डाल।</p> <p>पूर्व - डबल स्टोरी की ओर जाने वाली मुख्य सडक हनुमान मंदिर।</p> <p>दक्षिण - क्वा. नं. 474 के बाद थानगांव ग्राम की राजस्व सीमा।</p> <p>पश्चिम - मौहरी ग्राम दुल्हीकुंड नाला की सीमा एवं गोपाल सिंह का घर।</p>

05	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड	<p>उत्तर - ग्राम सिगुडी किन्तु नगरपालिका क्षेत्र में एवं इस वार्ड में सिगुडी का मैरटोला मोहल्ला सम्मिलित है।</p> <p>पूर्व - दक्षिण-पूर्वी रेल्वे की रेल लाईन तथा नवाडीह के बाद बौरीडांड की राजस्व सीमा।</p> <p>दक्षिण - दक्षिण पूर्व रेल्वे विद्युतीकरण के पोल क्र 918/31 से प्रारम्भ होकर माईन्स क्वा. (डबल स्टोरी) के पानी टंकी को सम्मिलित करते हुए उक्त पानी टंकी तक।</p> <p>पश्चिम - डबल स्टोरी पानी टंकी एवं क्वा. नं. M / 1147 से M / 927 क्वा. नं. तक जाने वाली सडक के साथ सीधी रेखा जो पानी टंकी के पास प्रारम्भ होकर सिगुडी की दक्षिणी सीमा में समाप्त होती है।</p>
06	महारानी अहिल्या बाई वार्ड	<p>उत्तर - दक्षिण पूर्व रेल्वे के रेल विद्युतीकरण पोल क्र 918/29 से प्रारम्भ होने वाली सीमा रेखा जो कालरी क्वा. नं. M / 181 एवं कालरी क्वा. नं. M / 244 के उत्तरी भाग तक।</p> <p>पूर्व - दक्षिण पूर्व रेल्वे के रेल विद्युतीकरण पोल क्र 918/29 से पोल क्र 918/23 तक।</p> <p>दक्षिण - क्वा. नं. M / 160 एवं क्वा. नं. M / 11 को जोड़ने वाली सडक के साथ-साथ जाने वाली सीधी रेखा जो दक्षिण पूर्व रेल्वे की रेल विद्युतीकरण पोल क्र. 918/23 से प्रारम्भ होती है, और कॉलरी क्वा. नं. M / 11 के अंतिम भाग में समाप्त होती है।</p> <p>पश्चिम - क्वा. नं. M / 1 एवं क्वा. नं. M / 244 को जोड़ने वाली सडक के मध्य की रेखा।</p>
07	पं. अटलबिहारी वाजपेयी वार्ड	<p>उत्तर - उत्पल आटा चक्की से सोमवारी बाजार उर्जानगर बी. ब्लॉक, सूर्यमंदिर।</p> <p>पूर्व - वार्ड क्र 05 की पश्चिमी सीमा तथा रामसरन का मकान।</p> <p>दक्षिण - ओवर ब्रिज एवं रेल्वे फाटक की सीमा।</p> <p>पश्चिम - कॉलरी क्वा. नं 417 राजबहोर प्रजापति का मकान एवं बिजुरी बाजार जाने वाली मुख्य सडक।</p>
08	प्रियदर्शिनी वार्ड	<p>उत्तर - सूर्य मंदिर एवं कॉलरी के मुख्य मार्ग के बगल से धर्मन्द्र गुप्ता का मकान एवं सेंट जोसेफ विद्यालय के सामने वाली सी.सी. सडक।</p> <p>पूर्व - डी.बी. कॉलोनी के बाद श्रमिक सदन के बगल से मौहरी की ओर जाने वाली सडक एवं राजे पाण्डेय का घर।</p> <p>दक्षिण - कॉलरी मैगजीन एवं वार्ड क्र. 09 की सीमा।</p> <p>पश्चिम - डी.बी. कॉलोनी के पूर्व मगरदहा नाला की सीमा।</p>
09	डा० अम्बेडकर वार्ड	<p>उत्तर - शौकत अली के घर से मुख्य मार्ग सेंट्रल बैंक के सामने का हिस्सा।</p> <p>पूर्व - माईन्स की ओर जाने वाली मुख्य सडक के पास खेर माता मंदिर के पहले से नीरज डेयरी तक।</p> <p>दक्षिण - सव एरिया कार्यालय से त्यागी होटल के सामने सूर्य मंदिर की ओर जाने वाली मुख्य सडक का बायां हिस्सा तक।</p> <p>पश्चिम - मुख्य मार्ग के बायां हिस्से से सफीकुन्निशा (सवा कम्प्यूटर) तक</p>

10	सरदार भगत सिंह वार्ड	उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम	<ul style="list-style-type: none"> - कपिलधारा गेट के सामने से रेल्वे सी.एस.पी. गेट गल्लैयाटोला के पहले का हिस्सा। - रेल्वे फाटक से मनेन्द्रगढ रोड अजीत श्रीवास्तव के मकान जंगल चौकी होते हुये समरेंद्र सिन्हा के मकान तक। - मुख्य सडक बांया हिस्सा डौकीटोला मोहल्ला। - समरेंद्र सिन्हा के मकान से गल्लैयाटोला रेल्वे फाटक तक।
11	महात्मा गाँधी वार्ड	उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम	<ul style="list-style-type: none"> - गल्लैयाटोला रेल्वे फाटक के दाये ओर ज्ञान विकास मिडिल स्कूल से कपिलधारा मेन गेट तक। - 56 दफाई के दाये हिस्से की गली से होते हेए मुख्य सडक की बाईं ओर का पूरा हिस्सा नीचे दुर्गा पण्डाल क्र. 04 के पीछे कॉलोनी की बाउंड्री। - कपिलधारा श्रमिक सदन के सामने का हिस्सा। - बी.टाईप, सी. टाईप आफिसर्स कॉलोनी कपिलधारा क्लब तक।
12	श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड	उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम	<ul style="list-style-type: none"> - कपिलधारा कॉलोनी मार्ग होते हुए उत्तरी हिस्से से दुर्गा पण्डाल के पीछे कपिलधारा कालोनी की बाउंड्री। - दुर्गा पण्डाल के दाहिने भाग से लगे ब्लॉक के दोनो हिस्से होते हुए फिल्टर प्लांट के सामने गेट तक। - भोंपिंग काम्प्लेक्स आर.के.व्ही.व्ही. स्कूल टीचर्स कॉलोनी व उसके पीछे का सम्पूर्ण हिस्सा एवं अर्जुनघाट से राजनगर रेल्वे साईडिंग दक्षिणी पूर्वी हिस्से तक। - भालूगडार रेल्वे गेट से कपिलधारा कॉलोनी जाने वाली रोड का दाहिना भाग से कपिलधारा कॉलोनी के मुख्य गेट तक।
13	पं. जबाहर लाल नेहरू वार्ड	उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम	<ul style="list-style-type: none"> - ग्राम पडरीपानी वार्ड क्र 10 की दक्षिणी सीमा रेखा (मनेन्द्रगढ मार्ग की मुख्य सडक) - डोला एवं नन्द गांव की सीमा। - परसापानी एवं कोरजा की राजस्व सीमा। - बिजुरी (पुराना रेल्वे फाटक) ओव्हर ब्रिज से कोतमा जाने वाली रेल्वे लाईन के साथ कोरजा कॉलरी के सामने नंदगांव की ओर जाने वाली सडक एवं कोरजा ग्राम की राजस्व सीमा।
14	रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड	उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम	<ul style="list-style-type: none"> - केबिनटोला एवं शीतलधारा कॉलरी के पहले मुख्य रेल लाईन अनुसुईया तालाब। - ओव्हर ब्रिज एवं पुराना रेल्वे फाटक एवं कोतमा की ओर जाने वाली रेल लाईन। - वार्ड क्र 16 की सीमा रेखा। - एल. एन. मित्तल के माकान होते हुए हनुमान मंदिर।
15	सेठ चुन्नीलाल खेड़िया वार्ड	उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम	<ul style="list-style-type: none"> - रनिंगरुम तिराहा, सरस्वती शिशु मंदिर, सेन्द्रल बैंक, नया बस स्टैण्ड होटल अतुल्यम होते हुये भिम्मा चौधरी का मकान। - रेल्वे रनिंग रुम के सामने A.T.M. पुराना थाना एवं खेड़िया जी काम्प्लेक्स जगदीश मित्तल से हरीश मेडिकल स्टोर की ओर जाने वाली मुख्य सडक। - हरीश मेडिकल स्टोर से खेड़िया जी के टाल रोड वाली PWD. सडक। - कब्रिस्तान हस्पताल लालू होटल होते हुये भिम्मा चौधरी के मकान तक।

16	नेता जी सुभाषचंद्र बोस वार्ड	उत्तर	— हनुमान मंदिर चौराहा का सम्मिलित करते हुये पीपल तिराहा की ओर जाने वाली बीच सडक की सीमा रेखा।
		पूर्व	— हनुमान मंदिर चौराहा को काली मंदिर तिराहे से जोडने वाली सडक के मध्य की सीमा (हनुमान मंदिर को सम्मिलित करते हुये)।
		दक्षिण	— काली मंदिर तिराहे से विश्वकर्मा मंदिर को जोडने वाली सडक की मध्य सीमा रेखा छाता मोहल्ला होते हुये अकबर अली, रजा मस्जिद तथा हैदर अली का मकान।
		पश्चिम	— हैदर अली एवं अमीरुद्दीन के मकान के पश्चिमी भाग होते हुये धर्मदास बंसल का मकान को जोडने वाली सडक एवं कन्या पाठ शाला के दक्षिणी भाग से होते हुये पीपल तिराहा से जोडने वाली सडक की मध्य सीमा।
17	संजय गॉंधी वार्ड	उत्तर	— खेडिया जी का श्मशान बाड़ा से रंगीले बंसल के पूर्वी हिस्से से नरेन्द्र मिश्रा का घर।
		पूर्व	— रजनीश पाठक के घर से रामप्रकाश शुक्ला वकील होते हुये अनुसुईया तालाब के मेढ की सीमा परन्तु केबिन टोला को छोडकर।
		दक्षिण	— नरेन्द्र मिश्रा के घर से दुर्गा मंदिर के पीछे एवं मुक्तिधाम के सामने वाली मुख्य सडक।
		पश्चिम	— कोतमा बिजुरी रेल्वे लाईन कोरजा ग्राम का पश्चिमी हिस्सा।
18	बाल गंगाधर तिलक वार्ड	उत्तर	— कोरजा से खूटाटोला, थाना बनिया तालाब की ओर जाने वाली PWD. सडक।
		पूर्व	— परसापानी ग्राम की राजस्व सीमा एवं दक्षिण पूर्व रेल्वे लाईन पडरीपानी ग्राम की दक्षिणी सीमा।
		दक्षिण	— बनिया तालाब से CLK. हायर सेकेंडरी स्कूल कबाडी मोहल्ला एवं खेडिया जी के क्रेशर से नगाराबांध की राजस्व सीमा।
		पश्चिम	— ग्राम नगाराबांध की राजस्व सीमा।
19	राममनोहर लोहिया वार्ड	उत्तर	— समलिया चौधरी के मकान से करन यादव के मकान होते हुये चौक से जोडने वाली सडक के मध्य रेखा यादव, के मकान के आगे हजारीलाल बंसल के मकान से कोठी रोड कनईनाला से भगता प्राईमरी स्कूल के पीछे से बाईपास बहेराबांध कार्लेरी रोड की सीमा तक।
		पूर्व	— हायर सेकेंडरी स्कूल-तिराहा के मध्य से करन यादव के मकान होते हुए कोतमा रोड में न.पा. की अंतिम सीमा तक। कोतमा PWD. रोड के मध्य की सीमा तक।
		दक्षिण	— नगाराबांध एवं डोंगरिया की राजस्व सीमा।
		पश्चिम	— ग्राम डोंगरिया एवं बहेराबांध की राजस्व सीमा।
20	महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड	उत्तर पूर्व	— वार्ड क्र. 01 मौहरी की पूर्वी सीमा रेखा। — वार्ड क्र. 01 मौहरी की दक्षिणी सीमा मगरदहा नाला से खेडिया वृक्षारोपण के पास लोहसरा रोड तक, वार्ड क्र. 15 की पश्चिमी सीमा, तथा खेडिया वृक्षारोपण से समलिया चौधरी के मकान तक लोहसरा जाने वाली पक्की सडक की मध्य सीमा रेखा।
		दक्षिण	— वार्ड क्र. 14 की उत्तरी सीमा रेखा।
		पश्चिम	— कोठी रोड में कनई नाला होते हुये दुल्हीकुंड नाला एवं वार्ड क्र. 01 का पूर्वी भाग टांकी-घाट संगम की सीमा रेखा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सोनिया मीना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 30 मई 2022

एफ-2695-पांच-व.लि.-नग.नि.-बिजुरी-वार्ड परि.-2022.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2694, दिनांक 30 मई 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सोनिया मीना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 30th May 2022

No. 2695 / पांच / व.लि. / नग.नि. / बिजुरी / वार्ड परि. / 2022, :: In the Exercise of the powers Conferred by Sub-section (1) Section 29 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No.37 of 1961) the State Government, hereby determine the extent of wards of Nagar Palika Bijuri, District Anuppur as per scheduled given bellow.

S.NO	Ward Name	Ward Boundri
01	Sarojani Naidu Ward	<p>North :- Revenue Limit of Thangaon and Kudri Village</p> <p>East :- From Dulhikund Nala to The confluence of the stop dam.</p> <p>South :- From the Starting Point of the eastern boundary of this ward to the Stop dam (Turn of the Magardaha nala).</p> <p>West :- From stop dam to right side of the concrete road leading towards bhagta via Anganwadi building to house of Santosh Kewat to tankighat nala.</p>
02	Rajendra Prasad Ward	<p>North :- Concrete Road Between in front of DB Colony and the shramiksadan.</p> <p>East :- From The eastern part of the shramiksadan Bijuri Colliery to minus Colony and from the street leading to Bijuri Bazar to the House of Balmukund Tripathi.</p> <p>South :- From Colliery Quarter No M/364, The House of Manoj Singh to The Adjacent Street to Colliery Hospital to BADA of ramlal Chandra</p>
		<p>and limit of Mouhari Village.</p> <p>West :- stop dam, The Eastern Part of Mauhari Village And Statue of Hanuman Ji.</p>

03	Pt. Deendayal Upadhyay Ward.	<p>North :- in Fronr Of Colliery Quarter No. 642 Rajsingh to Sankat Mochan Temple Road.</p> <p>East :- The road between Suresh Sailoon and R.N. Singh Complex.</p> <p>South :- Jay Singh's house ahead of SankatMochan Mandir and revenue limits of Mauhari village.</p> <p>West :- House of Tulsi Prajapati and Magardaha Nala and revenue limits of Mauhari Village.</p>
04	Rani Durgawati Ward.	<p>North :- After Shri RadheShyam Vihar and Durga Pandal in the western part of double Story.</p> <p>East :- Main road toward double Stody to Hanuman Mandir.</p> <p>South :- After Quarter No. 474 to limits of Thangaon Village.</p> <p>West :- Limits of Dulhikund nala village mouhari to house of gopal Singh.</p>
05	Chandra Shekhar Azad Ward.	<p>North :- Village Sigudi Municipal Jurisdiction only, Mairtola of Sigudi is included in this ward.</p> <p>East :- Rail Line of South-Eastern railway and Bauridand Limit after Nawadih.</p> <p>South :- begin from Electrical Pole No. 918/31 of South-Eastern Railway to water tank of Minus Quarter (Double story) including water tank.</p> <p>West :- Double Story water Tank and straight line with road from Quarter No. M/1147 to M/927 which starts from near of water Tank and ends in south limit of sigudi.</p>
06	Maharani Ahilya Bai Ward.	<p>North :- the border line start from Electric Pole No. 918/29 of South- Eastern Railway which goes from colliery Quarter No. m/181 and northern part of colliery Quarter No. m/244.</p> <p>East :- Electric Pole No.918/29 to Pole No. 918/23 of South-Eastern Railway.</p> <p>South :- the straight line with the connecing road to Quarter No. m/160 and Quarter No.which starts from electric Pole No. 918/23 of South</p>

		West :- Eastern Railway and ends with end of Quarter No. M/11. the middle line of the road connecting to quarter no M/1 and M/244.
07	Pt. Atalbihari Vajpayee Ward.	North :- from Utpal flour mill (atachakki) to Somwari Bazar Urjanagar B Block Surya Mandir. East :- west limit of ward No.5 and House of Ram Sharan. South :- limits of Over bridge and Railway gate. West :- Colliery Quarter No. 417 house of Rajbahore Prajapati and main road toward bijuri bazar.
08	Priyadarshini Ward.	North :- house of Dharmendra Gupta beside suryatample and main road of colliery to the c.c. road opposite to saint josephs school. East :- the road toward mouhari beside sharamik sadan after D.B. colony and the house of Rajesh Pandey. South :- colliery Magazine and the limit of ward No. 09. West :- Limit of Magardaha Nala before D.B. Colony.
09	Dr. Ambedkar Ward.	North :- From the house of Shukatali to main road up to opposite Part of Central Bank. East :- Before Khermata Temple near main road toward mines to Neeraj Dairy. South :- Left side of main road leading to Surya Temple in front of tyagi hotel to sub area office. West :- from Left side of main road to Safikunnisha (Saba Computer).
10	Sardar Bhagat Singh Ward.	North :- Infront of Kapildhara gate to the Railway c.s.p. gate before area of gallaiyatola. East :- From Railway gate to Manendragarh Road, house of Ajit shriwastva and forest office to the house of samrendra sinha. South :- Main road left area of Daukitola Mohalla. West :- From house of samrendra sinha to gallaiyatola Railway gate.
11	Mahatma Gandhi Ward.	North :- gyan vikas middle school, Righth of Gallaiyatola Railway gate to kapildhara main gate. East :- through right street of 56 Dafai to whole area of left side of main road up to colony boundries at below back of durga pandal No. 04.

		South West	:-Infront area of Kapildhara Shramik sadan. :-up to B type and C type Officer's colony Kapildhara club.
12	Shyama Prasad Mukharji Ward.	North East South West	:-from North Part through kapildhara colony road to kapildhara colony boundary behind Durga Pnadal. :- part of Both Block adjoining to right side of Durga Pandal to front gate of filter plant. :- Shopping complex RKVV school teacher's colony and whole part behind it and from Arjun ghat to south- eastern part of Rajnagar Rajilway siding. :- From Bhalugadar Railway gate to right part of road leading to kapildhara colony up to main gate of kapildhara colony.
13	Pt. Jwaharlal Nehru Ward.	North East South West	:- Southern limit of ward no. 10 padripani village (Main street of Manendragarh Road). :- Limit of Dola and Nandgaon. :- Revenue limit of Parsapani and Kurja. :-From Bijuri (Old Railway gate) Over bridge to railway line leading Kotma along with street Leading to nandgaon in Front of Kurja colliery and revenue limit of Kurja village.
14	Ravindra Nath Taigore Ward.	North East South West	:- Main Railway Line Anusuiya Talab before Kavin Tola and Sheetal dhara Colliery. :- Over Bridze and old railway gate ,rail line leading to kotma. :- Limits of ward no 16. :- From the House of L.N. Mittal to hanuman tempal.
15	Seth Chunnilal Khediya Ward.	North East South West	:- From Ranning Room Trijunction, Sarswati Shishu Mandir, central Bank, New Bus Stand, Hotal Atullyam to The House of Bhimma Chaudhary. :- From Atm. located in Front of the Railway running room, old police Station, khediya ji complex, jagdish mittal to main road leading to Harish Medical Store. :- From Harish Medical Store to PWD Street of toll road of Khediya ji . :- From Grave Yard Hospital to Lalu Hotel to Bhimma Chaudhary house.

16	Neta Ji Subhash Chandra Boss Ward.	North :- Mid Street Leading to Peepal trijunction Including hanuman Tempal Cross Road. East :- Mid of the Street connecting Hanuman Tempal to Kali Tempal (Including Hanuman Tempal). South :- Mid of the Street connecting Kali Tempal to Vishwakarma tempal and through Chhata mohalla to the House of Akbar ali, Raza Masszid and haidar ali. West :- streen connecting to the western part of the house of Haider ali and amiruddin to the house of dharmdas bansal and the mid of street connecting southern part of Girls School to peepal trijunction.
17	Sanjay Gandhi Ward.	North :- From Khediya ji Shamshan wada to the east part of Rangeele Bansal upto the House of Narendra Mishra. East :- From The House of Rajneesh Pathak to Boundary of Anusuiya Taalab excluding Cavin tola through Ramprakash Shukla Advocate. South :- From the House of Narendra Mishra to Back to Durga Tempal and Main Street in front of Mukti dham. West :- western Part of Kotma-Bijuri Railway Line Korja Village.
18	Baal Ganga Dhar Tilak Ward.	North :- From Kurja to Khunta Tola, PWD. Street Leading to Thana and Baniya Taalab. East :- Revenue Limit of Parsapani Village and South eastern Railway Line, South limit of Padripani Village. South :- From Baniya Talab to CLK Higher Secondary School, Kabadi mohalla and Khediya ji crusher to revenue limits of Nagarabandh. West :- Revenue limits of village Nagarabandh.
19	Rammanohar Lohiya Ward.	North :- middle of road connecting house of samaliya choudhary to near of house of karan yadav and From house of hajari lal bansal ahead of house of karan yadav to kothi road kanai nala to back of primary school bhagata to limits of bypass baherabandh collary road. East :- from middle of higher secondary school trijunction to last limits of nagar palika in kotma road through house of karan yadav. South :- Revenue limit of Nagarabandh And Dongariya. West :- Revenue limit of Dongariya Village and Baherabandh.

20	Maharani Laxmi Bai Ward.	North :- eastern limit of Ward No. 01 Mohari. East :- From Southern limit of Ward no 01 Magardaha nala to lohsara road near Khediya Plantation, Western limit of ward no 15, and middle line of paved road from khediya plantation to house of Samaliya chaudhary leading to lohsara. South :- Northern limit of ward no 14. West :- From Kanai nala to dulhikund nala in kothi road and eastern part of ward no 01 up to limits of tanki ghat confluence.
----	---------------------------------	---

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SONIA MEENA, Collector.

कार्यालय, नगरपालिका परिषद, बिजुरी, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश

क्र. 2693-न.पा.-परिसीमन-2021.

बिजुरी, दिनांक 30 मई 2022

सर्वसाधारण को जानकारी हेतु सूचित किया जाता है कि म.प्र. नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 29 एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका वार्डों का विस्तार नियम 1994 के नियम 3 एवं 4 में निहित प्रावधान अन्तर्गत नगरपालिका बिजुरी, जिला-अनूपपुर (म.प्र.) के हल्कों (वार्डों की संख्या) एवं चतुर्सीमा नीचे लिखे अनुसार प्रस्तावित की जाती है।

इन प्रस्तावों पर सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 07 दिवस के अन्दर इच्छुक व्यक्ति इस संबंध में अपने सुझाव एवं दावे समयावधि के अन्दर प्रस्तुत कर सकते हैं। म्याद गुजरने के उपरांत किसी आपत्ति, सुझाव पर विचार नहीं किया जावेगा।

वार्ड परिसीमन अनुसूची

क्रमांक	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
01.	वार्ड क्रमांक 1	सरोजनी नायडू वार्ड
02.	वार्ड क्रमांक 2	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
03.	वार्ड क्रमांक 3	पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड
04.	वार्ड क्रमांक 4	रानी दुर्गावती वार्ड
05.	वार्ड क्रमांक 5	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड
06.	वार्ड क्रमांक 6	महारानी अहिल्या बाई वार्ड
07.	वार्ड क्रमांक 7	पं. अटल बिहारी बाजपेयी वार्ड
08.	वार्ड क्रमांक 8	प्रियदर्शिनी वार्ड
09.	वार्ड क्रमांक 9	डॉ. अम्बेडकर वार्ड
10.	वार्ड क्रमांक 10	सरदार भगत सिंह वार्ड
11.	वार्ड क्रमांक 11	महात्मा गांधी वार्ड
12.	वार्ड क्रमांक 12	श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड
13.	वार्ड क्रमांक 13	पं. जवाहरलाल नेहरू वार्ड
14.	वार्ड क्रमांक 14	रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड
15.	वार्ड क्रमांक 15	सेठ चुन्नीलाल खेडिया वार्ड
16.	वार्ड क्रमांक 16	नेताजी सुभाषचंद्र बोस वार्ड
17.	वार्ड क्रमांक 17	संजय गांधी वार्ड
18.	वार्ड क्रमांक 18	बालगंगाधर तिलक वार्ड
19.	वार्ड क्रमांक 19	राममनोहर लोहिया वार्ड
20.	वार्ड क्रमांक 20	महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड

कलेक्टर, अनूपपुर.

नगरपालिका परिषद, बिजुरी, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश
जनसंख्या संबंधी पत्रक (जनगणना-2011 अनुसार) नियम 6 (चार)

स.क्र.	वार्ड क्रमांक व नाम	वार्ड की कुल जनसंख्या	अनुसूचित जाति जनसंख्या	अनुसूचित जन जाति जनसंख्या
01	01 सरोजनी नायडू वार्ड	1560	203	290
02	02 राजेन्द्र प्रसाद वार्ड	1695	219	198
03	03 पं० दीनदयाल उपाध्याय वार्ड	1560	198	424
04	04 रानी दुर्गावती वार्ड	1565	208	360
05	05 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड	1545	219	188
06	06 महारानी अहिल्या बाई वार्ड	1610	203	165
07	07 पं० अटलबिहारी बाजपेयी वार्ड	1660	217	414
08	08 प्रियदर्शिनी वार्ड	1790	211	445
09	09 डा० अम्बेडकर वार्ड	1660	219	318
10	10 सरदार भगत सिंह वार्ड	1692	208	451
11	11 महात्मा गाँधी वार्ड	1660	204	406
12	12 श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड	1690	208	483
13	13 पं० जबाहर लाल नेहरू वार्ड	1790	209	402
14	14 रविन्द्रनाथ टैगौर वार्ड	1535	219	380
15	15 सेठ चुन्नीलाल खेड़िया वार्ड	1610	340	303
16	16 नेताजह सुभाष चन्द्र बोस वार्ड	1540	210	266
17	17 संजय गाँधी वार्ड	1680	214	175
18	18 बाल गंगाधर तिलक वार्ड	1640	203	390
19	19 राममनोहर लोहिया वार्ड	1580	218	343
20	20 महारानी लक्ष्मी बाई वार्ड	1640	185	406
	योग	32702	4315	6807

कलेक्टर, अनूपपुर.

नगरपालिका परिषद, बिजुरी, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश
जनसंख्या संबंधी पत्रक (जनगणना-2011 अनुसार) नियम 6 (तीन)

नगर पालिका परिषद का नाम	कुल जनसंख्या	अनुसूचित जाति जनसंख्या	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या	पूर्व वार्डों की संख्या	वार्ड परिसीमन पश्चात नवीन अवधारित वार्डों की संख्या	प्रत्येक वार्ड की औसत जनसंख्या
बिजुरी	32702	4315	6807	15	20	1635

कलेक्टर, अनूपपुर.

नगरपालिका परिषद्, बिजुरी, जिला अनूपपुर, वार्ड परिसीमन पश्चात् नवीन अवधारित
वार्डों की जनसंख्या संबंधी पत्रक

प्रपत्र-एक


वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार वार्डवार जनसंख्या पत्रक

(अ)	निकाय का नाम	नगर पालिका परिषद् बिजुरी, जिला-अनूपपुर
(ब)	वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार निकाय की कुल जनसंख्या	32702
(स)	निकाय के लिए निर्धारित वार्ड की संख्या	20
(द)	जनगणना 2011 अनुसार वार्ड की औसत जनसंख्या	1635
(य)	वार्ड की औसत जनसंख्या से 15 प्रतिशत अधिक जनसंख्या	1962
(फ)	वार्ड की औसत जनसंख्या से 15 प्रतिशत कम जनसंख्या	1308

वार्ड क्र.	वार्ड का नाम	वार्ड की कुल जनसंख्या	औसत जनसंख्या से अंतर का प्रतिशत (+/-)	वार्ड में अनुसूचित जाति		वार्ड में अनुसूचित जनजाति		रिमार्क
				जनसंख्या	प्रतिशत	जनसंख्या	प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	सरोजनी नायडू वार्ड	1560	4.80%(-)	203	13.01	290	18.59	
02	राजेन्द्र प्रसाद वार्ड	1695	3.53%(+)	219	12.92	198	11.68	
03	पं० दीनदयाल उपाध्याय वार्ड	1560	4.80%(-)	198	12.69	424	27.18	
04	रानी दुर्गावती वार्ड	1565	4.47%(-)	208	13.29	360	23.00	
05	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड	1545	5.82%(-)	219	14.17	188	12.17	
06	महारानी अहिल्या बाई वार्ड	1610	1.55%(-)	203	12.61	165	10.25	
07	पं० अटलबिहारी बाजपेयी वार्ड	1660	1.50%(-)	217	13.07	414	24.94	
08	प्रियदर्शिनी वार्ड	1790	8.65%(+)	211	11.79	445	24.86	
09	डा० अम्बेडकर वार्ड	1660	1.50%(+)	219	13.19	318	19.16	
10	सरदार भगत सिंह वार्ड	1692	3.36%(+)	208	12.29	451	26.65	
11	महात्मा गाँधी वार्ड	1660	1.50%(+)	204	12.29	406	24.46	
12	श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड	1690	3.25%(+)	208	12.31	483	28.58	
13	पं० जबाहर लाल नेहरू वार्ड	1790	8.65%(+)	209	11.68	402	22.46	
14	रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड	1535	6.51%(-)	219	14.27	380	24.76	
15	सेठ चुन्नीलाल खेड़िया वार्ड	1610	1.55%(-)	340	21.12	303	18.82	
16	नेताजह सुभाष चन्द्र बोस वार्ड	1540	6.16%(-)	210	13.64	266	17.27	
17	संजय गाँधी वार्ड	1680	2.67%(+)	214	12.74	175	10.42	
18	बाल गंगाधर तिलक वार्ड	1640	0.30%(+)	203	12.38	390	23.78	
19	राममनोहर लोहिया वार्ड	1580	3.48%(-)	218	13.80	343	21.71	
20	महारानी लक्ष्मी बाई वार्ड	1640	0.30%(+)	185	11.28	406	24.76	
	योग	32702		4315	13.19	6807	20.82	

सोनिया मीना, कलेक्टर.

नगरपालिका परिषद् बिजुरी जिला-अनूपपुर (म.प्र.)



नगरपालिका
कलेक्टर
नगरपालिका-अनूपपुर (म.प्र.)

Handwritten signature and official stamp.

Handwritten signature and official stamp.

संकेत	
1	नगर सीमा
2	गार्ड रेलिंग
3	बार्ड हल
4	रेल्वे स्टेशन
5	स्मार्टर पेंड
6	मार्ग

कार्यालय, कलेक्टर (शहरी विकास), जिला सागर, मध्यप्रदेश

सागर, दिनांक 1 जून 2022

क्रमांक/ 1036 /डूडा/2022/प्रकाशन- मध्यप्रदेश नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-1-14/2022/18-3 भोपाल, दिनांक 10.05.2022 के अनुपालन में मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 5(1)(क) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये नगर परिषद करारपुर, जिला सागर के स्थानीय संकमणशील क्षेत्रों के वार्डों का परिसीमन नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद् द्वारा अवधारित करता हूँ। अनुसूची में दर्शित सम्मिलित वार्डों की अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी या इसमें निवास करने वाला कोई व्यक्ति, यदि उसमें अंतर्विष्ट किसी वाद के संबंध में आपत्ति रखता है, तो राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से 07 दिवस के भीतर अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव कलेक्टर जिला सागर को प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि उपरांत किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी, जिस पर राज्य शासन द्वारा विचार किया जावेगा।

नगर परिषद करारपुर के वार्डों के परिसीमन उपरांत अवधारित वार्ड-

स.क्र.	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1	01	महात्मा गांधी वार्ड
2	02	चन्द्रशेखर वार्ड
3	03	संतरविदास वार्ड
4	04	भगत सिंह वार्ड
5	05	सहोद्राबाई वार्ड
6	06	रानी लक्ष्मीबाई वार्ड
7	07	दीनदयाल उपाध्याय वार्ड
8	08	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
9	09	अम्बेडकर वार्ड
10	10	रविन्द्रनाथ टेगोर वार्ड
11	11	सन्मति वार्ड
12	12	महाराणा प्रताप वार्ड
13	13	अटलबिहारी बाजपेयी वार्ड
14	14	अंवतीबाई वार्ड
15	15	हरिसिंह गौर वार्ड

दीपक आर्य, कलेक्टर.

Sagar, the 1st June 2022

No./ .1036 /Duda/Publication-Madhya Pradesh In pursuance of the Notification No./F 1-14/2022/ 18-3 Bhopal, dated 10.05.2022, the Ministry of Urban Development and Housing, Bhopal, in accordance with the powers conferred in sub-section (1) of section 5(1) of the Madhya Pradesh Municipality Act, 1961, is as per the notification given below. In exercise of the powers conferred, the Municipal Council hereby determines the delimitation of the wards of local transitional Area of Karrapur District Sagar as per the schedule given below. The local authority having jurisdiction over the areas shown in the Schedule or any person residing in it, if any object is to be made in respect of any suit contained therein, may, within 07 days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, give its written objection/suggestion to the District Collector Sagar, After the time period, any objection will not be valid, which will be considered by the State government.

Ward determined after limit delimitation under Nagar Parishad Karrapur-

S.No.	Ward No.	Name of ward
1	1	Mahatma Gandhi ward
2	2	Chandra Shekhar ward
3	3	Sant Ravidas ward
4	4	Bhagatsingh ward
5	5	Sahodra bai ward
6	6	Santkabir ward
7	7	Pandit Deendayal upadhya ward
8	8	Lal Bahadur Shastri ward
9	9	Ambedker ward
10	10	Ravindra nath Tegore ward
11	11	Sanmati ward
12	12	Maharana Pratap ward
13	13	Atal Bihar Bajpai ward
14	14	Avanti Bai ward
15	15	Harsingh Gour ward

DEEPAK ARYA, Collector.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 जून 2022

(संशोधित अधिसूचना)

अधि.क्र.-79 एफ 1-417/2020/18-3 :: मध्यप्रदेश नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद बिलहरा, जिला सागर के लिये आरक्षित वार्डों की अधिसूचना क्रमांक 467-एफ-1-417-2020-अठारह-3 दिनांक 10 दिसम्बर 2020 के द्वारा प्रकाशित की गयी थी।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 278/2022 में पारित आदेश दिनांक 10 मई 2022 के पालन में उक्त अधिसूचना में संशोधन करते हुये नगर परिषद बिलहरा, जिला सागर के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:-

स.क्र.	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम
1	2	3	4
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	(1) वार्ड क्रमांक 15 अम्बेडकर वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 05 हरदौल वार्ड (3) वार्ड क्रमांक 06 शिवशंकर वार्ड (4) वार्ड क्रमांक 13. विवेकानंद वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	(1) वार्ड क्रमांक 01 सिंहवाहिनी वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्रमांक 07 अन्नपूर्णा वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 12 भगत सिंह वार्ड
4	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्ड में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	02	(1) वार्ड क्रमांक 06 शिवशंकर वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 05 हरदौल वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्ड में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित वार्ड में से अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	01	(1) वार्ड क्रमांक 07 अन्नपूर्णा वार्ड
7	अनारक्षित वार्ड में से महिलाओं के लिये उक्त (सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	05	(1) वार्ड क्रमांक 11 महात्मा गांधी वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 04 गणेश चौक वार्ड (3) वार्ड क्रमांक 14 लक्ष्मीबाई वार्ड (4) वार्ड क्रमांक 08 महाराणा प्रताप वार्ड (5) वार्ड क्रमांक 03 राधाकृष्ण वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2022

क्रमांक एफ-1-417-2020-अठारह-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 79-एफ 1-417-2020-अठारह-3, दिनांक 10 जून 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

Bhopal, the 10th June 2022
(Revised Notification)

Not-No. 79 F 1-417/2020/18-3 :: In exercise of the Powers conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities (Reservation of wards for Schedule Caste, Schedule Tribe, Other Backward Castes and Women) of Rule 1994 the Reservation of ward for Nagar Parishad Bilhara, District Sagar was published notification No. 467-F-1-417-2020-Eighteenth-3, Date 10-10-2020.

In compliance of the order of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) 278/2022, the notification as above, with respect to reservation of wards of Nagar Parishad Bilhara, Dist. Sagar is published as under:-

No.	Reserved Wards for Category	Total Wards	Reserved Ward's Name and Number
1	No. of wards Reserved for Schedule Caste	04	(1) Ward No. 15 Ambedkar Ward (2) Ward No.05 Hardaul Ward (3) Ward No.06 Shivshankar Ward (4) Ward No.13 Vivekanand Ward
2	No. of wards Reserved for Schedule Tribe	01	(1) Ward No. 01 Singhwahini Ward
3	No. of wards Reserved for Other Backward Castes	02	(1) Ward No. 07 Annpurna Ward (2) Ward No.12 Bhagat Singh Ward
4	No. of wards Reserved for Schedule Caste's (Women)	02	(1) Ward No.06 Shivshankar Ward (2) Ward No.05 Hardaul Ward
5	No. of wards Reserved for Schedule Tribe (Women)	Nil	Nil
6	No. of wards Reserved for Other Backward Classes (Women)	01	(1) Ward No. 07 Annpurna Ward
7	No. of wards Reserved for (other from S.No. 4, 5 &6) Women	05	(1) Ward No.11 Mahatma Gandhi Ward (2) Ward No.04 Ganesh Chowk Ward (3) Ward No.14 Lakshmibai Ward (4) Ward No.08 Maharana Pratap Ward (5) Ward No. 03 Radhakrishna Ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh
R. K. KARTIKEY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2022

79 अधिसूचना क्रमांक-एफ-1-390/2020/18-3, मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद निवाली बुजुर्ग, जिला बड़वानी के लिए आरक्षित वार्डों की सूची अधिसूचना क्र. 418-एफ-1-390/2020/18-3 के द्वारा प्रकाशित की गई थी।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 278/2022 में पारित आदेश दिनांक 10 मई 2022 के पालन में उक्त अधिसूचना में संशोधन करते हुए नगर परिषद निवाली बुजुर्ग, जिला बड़वानी के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :-

क्र	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	(1) वार्ड क्रमांक 05 - ख्वाजा नाईक-निवाली बुजुर्ग
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	11	(1) वार्ड क्रमांक- 1 -टंटया मामा वार्ड-निवाली खुर्द (2) वार्ड क्रमांक- 2 -कांतादेवी वार्ड-निवाली खुर्द (3) वार्ड क्रमांक- 3 -भीमा नाईक वार्ड-मंसुर (4) वार्ड क्रमांक- 4 -रानीकाजल वार्ड-पिछोड़ी (5) वार्ड क्रमांक- 7 -कस्तुरबा वार्ड-निवाली बुजुर्ग (6) वार्ड क्रमांक- 8 -मौलाना आजाद वार्ड-निवाली बुजुर्ग (7) वार्ड क्रमांक- 9 -महाराणा प्रताप वार्ड-तलाव (8) वार्ड क्रमांक- 10 -इंदिरा गांधी वार्ड-तलाव (9) वार्ड क्रमांक- 11-बाबा रामदेव वार्ड-निवाली बुजुर्ग (10) वार्ड क्रमांक-14- छत्रपति शिवाजी वार्ड-निवाली बुजुर्ग (11)वार्ड क्रमांक- 15 -चंद्रशेखर आजाद वार्ड-कुसम्या
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	00	निरंक
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए कुल आरक्षित वार्ड	00	निरंक
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए कुल आरक्षित वार्ड	06	(1) वार्ड क्रमांक- 2 -कांतादेवी वार्ड-निवाली खुर्द (2) वार्ड क्रमांक- 3 -भीमा नाईक वार्ड-मंसुर (3) वार्ड क्रमांक- 9 -महाराणा प्रताप वार्ड-तलाव (4) वार्ड क्रमांक- 10 -इंदिरा गांधी वार्ड-तलाव (5) वार्ड क्रमांक- 11 -बाबा रामदेव वार्ड-निवाली बुजुर्ग (6) वार्ड क्रमांक- 14 - छत्रपति शिवाजी वार्ड-निवाली बुजुर्ग
6	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिये कुल आरक्षित वार्ड	00	निरंक
7	महिलाओं के लिए (उक्त स.क्र. 4, 5, व 6 के अलावा) आरक्षितवार्ड	02	(1) वार्ड क्रमांक-12-शहीद भगत सिंह-निवाली बुजुर्ग (2) वार्ड क्रमांक-13 -महात्मा गांधी-निवाली बुजुर्ग

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2022

क्रमांक एफ-1-390-2020-अठारह-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 79-एफ 1-390-2020-अठारह-3, दिनांक 10 जून 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

Bhopal, the 10th June 2022

Not. No. 79.....F-1-390/2020/18-3, In Exercise of the power conferred by rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities (Reservation of ward for schedule caste. schedule trivel other backward cast and women) of rule 1994 the Reservation of wards for city council niwali buzurg, district barwani was published wide notification number 418-F-1-390/2020/18-3।

In compliance of the order of Hon'ble. Supreme Court in WP (Civil) 278/2022, the notification as above, with respect to Reservation of wards of city council niwali buzurg, district barwani is published as under.

No.	Reserved Wards for Category	Total Wards	Reserved Ward's Name and Number
1	No. Of wards Reserved for schedule caste	01	(1) Ward No. 5 – Khavja Nayak – Niwali Buzurg
2	No. Of wards Reserved for Schedule Tribal	11	(1) Ward No. 1 – Tantiya Mama Ward – Niwali khurd (2) Ward No. 2 – Kantadevi Ward – Niwali khurd (3) Ward No. 3 – BhimaNayak – Mansur (4) Ward No. 4 – Rani kajal – Pichhodi (5) Ward No. 7 – Kasturba Ward – NiwaliBuzurg (6) Ward No. 8 – MolanaAjad – NiwaliBuzurg (7) Ward No. 9 – Maharana Pratap – Talav (8) Ward No. 10 – Indira Gandhi – Talav (9) Ward No. 11 – Baba Ramdev – NiwaliBuzurg (10) Ward No. 14 -Chhatrpati Shivaji – NiwaliBuzurg (11) Ward No. 15 – Chandrshekar Azad – Kusmya
3	No. Of Wards Reserved for Backward Caste	00	–
4	No. Of wards Reserved for Scheduled Caste's (Women)	00	–
5	No. Of wards Reserved for Scheduled Tribal Caste's (Women)	06	(1) Ward No. 2 – Kanta devi Ward – Niwalikhurd (2) Ward No. 3 – Bhima Nayak – Mansur (3) Ward No. 9 – Maharana Pratap – Talav (4) Ward No. 10 – Indira Gandhi – Talav (5) Ward No. 11 – Baba Ramdev – NiwaliBuzurg (6) Ward No. 14 - Chhatrpati Shivaji – NiwaliBuzurg
6	Total Wards Reserved for OBC Women	00	–
7	No.of Wards Reserved for (other from S.No.4 , 5 & 6) Women	02	(1) Ward No. 12 – ShahidBhagatsingh – NiwaliBuzurg (2) Ward No.13 – Mahatma Gandhi – NiwaliBuzurg

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh
R. K. KARTIKEY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2022

(संशोधित अधिसूचना)

79 अधिसूचना क्र.-एफ 1-370/2020/18-3-मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछडा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद बिस्तान, जिला-खरगोन के लिये आरक्षित वार्डों की सूची अधिसूचना क्रमांक 381. F-1-370/2020/18-3 भोपाल दिनांक 05.11.2020 के द्वारा प्रकाशित की गयी थी।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 278/2022 में पारित आदेश दिनांक 10 मई, 2022 के पालन में उक्त अधिसूचना में संशोधन करते हुये नगर परिषद बिस्तान जिला-खरगोन के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:-

क्र.	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	वार्ड क्र. 14 महाराणा प्रताप वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	06	वार्ड क्र. 02 बिरसा मुण्डा वार्ड, वार्ड क्र. 03, भीमा नायक वार्ड, वार्ड क्र. 04, टंट्या मामा वार्ड, वार्ड क्र. 10, रानी लक्ष्मीबाई वार्ड, वार्ड क्र. 11 भगतसिंह वार्ड, वार्ड क्र. 13 वीर सांवरकर वार्ड,
3	अन्य पिछडा वर्ग के लिये के आरक्षित कुल वार्ड	0	निरंक
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित वार्ड में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	0	निरंक
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित वार्ड में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	03	वार्ड क्र. 02 बिरसा मुण्डा वार्ड, वार्ड क्र. 04, टंट्या मामा वार्ड, वार्ड क्र. 13 वीर सांवरकर वार्ड,
6	अन्य पिछडा वर्ग के लिये आरक्षित वार्ड में से अन्य पिछडा वर्ग की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	0	निरंक
7	अनारक्षित वार्ड में से महिलाओं के लिए उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा आरक्षित वार्ड	05	वार्ड क्र. 01, चंद्रशेखर वार्ड, वार्ड क्र. 05, सरदार पटेल वार्ड, वार्ड क्र. 06, शिवाजी वार्ड, वार्ड क्र. 09, महावीर वार्ड, वार्ड क्र. 15, रामदेव वार्ड,

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2022

क्रमांक एफ-1-370-2020-अठारह-3. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 79-एफ 1-370-2020-अठारह-3, दिनांक 10 जून 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

Bhopal, the 10th June 2022

(Revised Notification)

Not. No...79..... F 1-370/2020/18-3, In exercise of the Powers Conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities (Reservation of wards for Schedule Caste, Schedule Tribe Other Backward Caste and Women) of Rule 1994 the Reservation of wards for City Council Bistan, District Khargone was published vide notification No 381-F-1-370/2020/18-3 Bhopal Dated 05-11-2020

In compliance of the order of Hon'ble Supreme Court in WP {Civil} 278/2022, the notification as above, with respect to reservation of words of City Council Bistan, Distt. Khargone is published as under:-

No.	Reserved wards for category	Total Wards	Reserved Ward's Name and Number
1	No. of wards Reserved for Schedule Caste	01	Ward No.14, Maharana Pratap Ward,
2	No. of wards Reserved for Schedule Tribe	06	Ward No.02, Birsa Munda Ward, Ward No.03, Bhima Nayak ward, Ward No.04, Tantya mama ward, Ward No.10, Rani Laxmi bai ward, Ward No.11, Bhagat singh ward, Ward No.13, Veer sawarkar ward,
3	No. of wards Reserved for Other Backward Caste	0	Nil
4	No. of wards Reserved for Scheduled Caste's (Women)	0	Nil
5	No. of wards Reserved for Scheduled Caste's (Women)	03	Ward No.02, Birsa Munda Ward, Ward No.04, Tantya mama ward, Ward No.13, Veer sawarkar ward,
6	No. of wards Reserved For other Backward Classes (Women)	0	Nil
7	No. of wards Reserved For (other from S.NO. 4,5&6) (Women)	05	Ward No.01, Chandra shekhar Ward, Ward No.05, Sardar patel Ward, Ward No. 06, Shivaji Ward, Ward No. 09, Mahaveer ward, Ward No.15, Ramdev Ward,

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh
R. K. KARTIKEY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2022

(संशोधित अधिसूचना)

अधिसूचना क्र. 79 एफ 1-364/2020/18-3 मध्यप्रदेश नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद डूमरकछार जिला अनूपपुर के लिये आरक्षित वार्डों की अधिसूचना क्रमांक 370 एफ 1-364/2020/18-3 भोपाल दिनांक 02 नवम्बर 2020 को प्रकाशित की गयी थी।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (रिविल) क्रमांक 278/2022 में पारित आदेश दि० 10 मई 2022 के पालन में उक्त अधिसूचना में संशोधन करते हुये नगर परिषद डूमरकछार जिला अनूपपुर के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:-

क्रमांक	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम
1	2	3	4
1.	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	वार्ड क्र०-01, विरसा मुण्डा वार्ड वार्ड क्र०-11, अटल बिहारी बाजपेयी वार्ड
2.	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	वार्ड क्र०-14, मेजर ध्यानचन्द वार्ड वार्ड क्र०-15, स्वामी विवेकानन्द वार्ड
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	वार्ड क्र०-02, डा०भीमराव अम्बेडकर वार्ड वार्ड क्र०-05, शिवाजी वार्ड वार्ड क्र०-06, भगत सिंह वार्ड
4.	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	वार्ड क्र०-01, विरसा मुण्डा वार्ड
5.	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	वार्ड क्र०-14, मेजर ध्यानचन्द वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	वार्ड क्र०-05, शिवाजी वार्ड वार्ड क्र०-06, भगत सिंह वार्ड
7.	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्र. 4. 5. व 6 के अलावा) आरक्षित कुल वार्ड	03	वार्ड क्र०-03, रानी लक्ष्मी बाई वार्ड वार्ड क्र०-07, चंद्रशेखर आजाद वार्ड वार्ड क्र०-13, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2022

क्रमांक एफ-1-364-2020-अठारह-3. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 79-एफ 1-364-2020-अठारह-3, दिनांक 10 जून 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

Bhopal, the 10th June 2022
(Revised Notification)

Not.No. ~~79~~ F 1-364/2020/18-3, In exercise of the Powers Conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities (Reservation of wards for Schedule Caste, Schedule Tribe Other Backward Caste and Women) of Rule 1994 the Reservation of wards for municipal council Dumarkachhar District Anuppur was published vide Notification No. 370 F 1-364/2020/18-3 Date 02 November 2020

In Compliance of the order of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil)278/2022 the Notification as above, with respect to Reservation of wards of municipal council Dumarkachhar District Anuppur is published as Under :-

S. No.	Reservation Category	Total Ward	Name and S. No. of Reserev ward
1	2	3	4
1	Total Reserev ward for SC	02	01- birsa munda Ward. 11- Pt. Atal bihari Bajpai Ward.
2	Total Reserve ward for ST	02	14- Mejar Dhyanchand Ward. 15- Swami Vivekananda Ward.
3	Total Reserve ward for OBC	03	02- Dr. Bhimrao Ambedakar Ward. 05- Shivaji Ward. 06- Bhagat Singh Ward.
4	Total Reserve ward for SC Woman	01	01- birsa munda Ward.
5	Total Reserve ward for ST Woman	01	14- Mejar Dhyanchand Ward.
6	Total Reserve ward for OBC Woman	02	05- Shivaji Ward. 06- Bhagat Singh Ward.
7	Total Reserve ward for Woman (Other all Reserve ward above Sl. No. 4,5,6)	03	03- Rani lakshmibai Ward. 07- Chandra Shekhar Azad Ward. 13- Shyama prasad Mukharji Ward.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh
R. K. KARTIKEY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2022

(संशोधित अधिसूचना)

अधिसूचना क्र. 79 एफ 1-366/2020/18-3 मध्यप्रदेश नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद बनगवॉ(राजनगर), जिला अनूपपुर के लिये आरक्षित वार्डों की सूची अधिसूचना क्रमांक 371 एफ 1-366/2020/18-3 भोपाल दिनांक 02 नवम्बर 2020 को प्रकाशित की गयी थी।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 278/2022 में पारित आदेश दि 0 10 मई 2022 के पालन में उक्त अधिसूचना में संशोधन करते हुये नगर परिषद बनगवॉ(राजनगर), जिला अनूपपुर के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:-

क्रमांक	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम
1	2	3	4
1.	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	07- डा0 हेडगेवार वार्ड 09- रानी लक्ष्मीबाई वार्ड
2.	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	01- महात्मा गाँधी वार्ड 02- सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड 03- सुभाष चन्द्र बोस वार्ड
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	08- डा0 भीमराव अम्बेडकर वार्ड 10- श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड
4.	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	07- डा0 हेडगेवार वार्ड
5.	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	01- महात्मा गाँधी वार्ड 02- सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	10- श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड
7.	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्र. 4. 5. व 6 के अलावा) आरक्षित कुल वार्ड	03	04- अटल बिहारी बाजपेयी वार्ड 05- भगत सिंह वार्ड 06- चंद्रशेखर आजाद वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2022

क्रमांक एफ-1-366-2020-अठारह-3. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 79-एफ 1-366-2020-अठारह-3, दिनांक 10 जून 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

Bhopal, the 10th June 2022
(Revised Notification)

Not.No. 79 F 1-366/2020/18-3, In exercise of the Powers Conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities (Reservation of wards for Schedule Caste, Schedule Tribe Other Backward Caste and Women) of Rule 1994 the Reservation of wards for **municipal council Bangawan(Rajnagar)** District Anuppur was published vide Notification No. 371 F 1-366/2020/18-3 Date 02 November 2020

In Compliance of the order of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil)278/2022 the Notification as above, with respect to Reservation of wards of **municipal council Bangawan(Rajnagar)** District Anuppur is published as Under :-

S. No.	Reservation Category	Total Ward	Name and S. No. of Reserev ward
1	2	3	4
1	Total Reserev ward for SC	02	07- Dr. Hedgewar Ward. 09- Rani lakchmi bai Ward
2	Total Reserev ward for ST	03	01- Mahatma gandhi Ward. 02-Sardar vallabha bhai patel Ward. 03-Subhash chandra bose Ward.
3	Total Reserev ward for OBC	02	08- Dr- Bhimrao Ambedkar Ward. 10- Shyama prasad mukharji Ward.
4	Total Reserev ward for SC Woman	01	07- Dr. Hedgewar Ward.
5	Total Reserev ward for ST Woman	02	01- Mahatma gandhi Ward. 02-Sardar vallabha bhai patel Ward.
6	Total Reserev ward for OBC Woman	01	10- Shyama prasad mukharji Ward.
7	Total Reserev ward for Woman (Other all Reserve ward above Sl. No. 4,5,6)	03	04- Atal bihari bajpai Ward. 05- Bhagat singh Ward. 06- Chandra shekhar Azad Ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh
R. K. KARTIKEY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2022
(संशोधन)

अधि.क्र. 76 एफ 1-88/2019/18-3, म.प्र. नगर पालिका (महापौर तथा अध्यक्ष पद का आरक्षण) नियम 1994 के अंतर्गत नगर पालिका परिषदों के अध्यक्षों के पदों के लिये आरक्षण की अधिसूचना क्रमांक 65 एफ 1-88/2019/18-3 दिनांक 02.06.2022 म.प्र.राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित की गई।

उक्त अधिसूचना में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के आरक्षण सूची के अनुसूचित जाति के सरल क्रमांक 09 पर नगर पालिका परिषद बीना प्रकाशित हुआ है जिसे नगर पालिका परिषद बीना (महिला) पढा जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2022

(संशोधित अधिसूचना)

अधि.क्र. 86 एफ 01-151/2020/18-3 मध्यप्रदेश नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगर पालिका परिषद खुरई, जिला सागर के लिये आरक्षित वार्डों की अधिसूचना क्रमांक 140-एफ-01-151-2020-अठारह-3 दिनांक 25 सितम्बर 2020 को प्रकाशित की गयी थी।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 278/2022 में पारित आदेश दिनांक 10 मई 2022 के पालन में उक्त अधिसूचना में संशोधन करते हुये नगर पालिका परिषद खुरई, जिला सागर के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:-

स.क्र.	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम
1	2	3	4
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	08	(1) वार्ड क्रमांक 23 महाराणा प्रताप वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 25 पंडित लाल बहादुर शास्त्री वार्ड (3) वार्ड क्रमांक 09 डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड (4) वार्ड क्रमांक 02 शहीद विरसा मुंडा वार्ड (5) वार्ड क्रमांक 27 माता शबरी वार्ड (6) वार्ड क्रमांक 13 रानी अवंतीबाई वार्ड (7) वार्ड क्रमांक 32 आचार्य विनोबा भावे वार्ड (8) वार्ड क्रमांक 10 संत रविदास वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्रमांक 22 संत कबीरदास वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 26 आचार्य श्री विद्यासागर वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	06	(1) वार्ड क्रमांक 01 सरदार वल्लभभाई पटेल वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 11 कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड (3) वार्ड क्रमांक 30 पंडित अटल बिहारी वाजपेयी (4) वार्ड क्रमांक 19 रानी दुर्गावती वार्ड (5) वार्ड क्रमांक 18 छत्रपति शिवाजी वार्ड (6) वार्ड क्रमांक 17 महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड
4	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्ड में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	04	(1) वार्ड क्रमांक 02 शहीद विरसा मुंडा वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 10 संत रविदास वार्ड (3) वार्ड क्रमांक 23 महाराणा प्रताप वार्ड (4) वार्ड क्रमांक 32 आचार्य विनोबा भावे वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्ड में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	01	(1) वार्ड क्रमांक 22 संत कबीरदास वार्ड

6	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित वार्ड में से अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	03	(1) वार्ड क्रमांक 01 सरदार वल्लभभाई पटेल वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 17 महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड (3) वार्ड क्रमांक 30 पंडित अटल बिहारी वाजपेयी वार्ड
7	अनारक्षित वार्ड में से महिलाओं के लिये उक्त (सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	08	(1) वार्ड क्रमांक 03 नेताजी सुभाष चंद्र बोस वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 04 शहीद भगत सिंह वार्ड (3) वार्ड क्रमांक 07 रविन्द्र नाथ टैगोर वार्ड (4) वार्ड क्रमांक 15 डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम वार्ड (5) वार्ड क्रमांक 20 बिहारी जी वार्ड (6) वार्ड क्रमांक 24 महावीर वार्ड (7) वार्ड क्रमांक 28 स्वामी विवेकानंद वार्ड (8) वार्ड क्रमांक 31 वीर सावरकर वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2022

क्रमांक एफ-1-151-2020-अठारह-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 80-एफ 1-151-2020-अठारह-3, दिनांक 10 जून 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

Bhopal, the 10th June 2022

(Revised Notification)

Not-~~No~~ F 01-151/2020/18-3] In exercise of the Powers conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities (Reservation of wards for Schedule Caste, Schedule Tribe, Other Backward Castes and Women) of Rule 1994 the Reservation of ward for **Nagar Palika Parishad Khurai, District Sagar** was published notification No. 140-F-01-151-2020 Eighteenth-3, Date 25 September 2020.

In compliance of the order of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) 278/2022, Date 10 May 2022. the notification as above, with respect to reservation of wards of **Nagar Palika Parishad Khurai, Dist. Sagar** is published as under:-

No.	Reserved Wards for Category	Total Wards	Reserved Ward's Name and Number
1	No. of wards Reserved for Schedule Caste	08	(1) Ward no. 23 Maharana Pratap Ward (2) Ward no. 25 Pandit Lal Bahadur Shastri Ward (3) Ward no. 09 Dr. Bhimrao Ambedkar Ward (4) Ward no. 02 Martyr Virsa Munda Ward (5) Ward no. 27 Mata Shabri Ward

			(6) Ward no. 13 Rani Avantibai Ward (7) Ward no. 32 Acharya Vinoba Bhave Ward (8) Ward no. 10 Sant Ravidas Ward
2	No. of wards Reserved for Schedule Tribe	02	(1) Ward no. 22 Sant Kabirdas Ward (2) Ward no. 26 Acharya Shri Vidyasagar Ward
3	No. of wards Reserved for Other Backward Castes	06	(1) Ward no. 01 Sardar Vallabhbai Patel Ward (2) Ward no. 11 Kushabhau Thackeray Ward (3) Ward no. 30 Pandit Atal Bihari Vajpayee (4) Ward no. 19 Rani Durgavati Ward (5) Ward no. 18 Chhatrapati Shivaji Ward (6) Ward no. 17 Maharani Laxmibai Ward

4	No. of wards Reserved for Schedule Caste's (Women)	04	(1) Ward no. 02 Martyr Virsa Munda Ward (2) Ward no. 10 Sant Ravidas Ward (3) Ward no. 23 Maharana Pratap Ward (4) Ward no. 32 Acharya Vinoba Bhave Ward
5	No. of wards Reserved for Schedule Tribe (Women)	01	(1) Ward no. 22 Sant Kabirdas Ward
6	No. of wards Reserved for Other Backward Classes (Women)	03	(1) Ward no. 01 Sardar Vallabhbai Patel Ward (2) Ward no. 17 Maharani Laxmibai Ward (3) Ward no. 30 Pandit Atal Bihari Vajpayee Ward
7	No. of wards Reserved for (other from S.No. 4, 5 & 6) Women	08	(1) Ward no. 03 Netaji Subhash Chandra Bose Ward (2) Ward no. 04 Shahced Bhagat Singh Ward (3) Ward no. 07 Rabindra Nath Tagore Ward (4) Ward no. 15 Dr. A.P.J. Abdul Kalam Ward (5) Ward no. 20 Bihari Ji Ward (6) Ward no. 24 Mahavir Ward (7) Ward no. 28 Swami Vivekananda Ward (8) Ward no. 31 Veer Savarkar Ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. KARTIKEY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2022
(त्रुटि सुधार-संशोधित अधिसूचना)

अधि. क्र. 81 एफ 1-126/2020/18-3 :: मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-2, दिनांक 27 मई 2022 को नगरपालिका परिषद नरसिंहपुर, जिला नरसिंहपुर के वार्ड आरक्षण की (संशोधित अधिसूचना) प्रकाशित हुई हैं।

वार्ड आरक्षण की तालिका के सरल क्रमांक 06 में अन्य पिछडा वर्ग की महिलाओं के लिये कुल 05 वार्ड आरक्षित है, में सरल क्रमांक 5 में वार्ड क्रमांक 17 बजरंग वार्ड टंकन त्रुटिवश प्रकाशित हो गया है, के स्थान पर, वार्ड क्रमांक 18 पटैल वार्ड पढ़ा जावे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2022

क्रमांक एफ-1-126-2020-अठारह-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 81-एफ 1-126-2020-अठारह-3, दिनांक 10 जून 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

Bhopal, the 10th June 2022

(Error Correction-Revised Notification)

Not. No. 81 F1-126/2020/18-3 :: Madhya Pradesh Gazette, Part-2, dated 27 May 2022, has been published (amended notification) of ward reservation of **Municipal Council Narsinghpur, District Narsinghpur.**

In the serial number 06 of the table of ward reservation, a total of 05 wards are reserved for women of other backward classes, in the serial number 5, ward number 17 Bajrang Ward has been published due to typing error, It should be read as **ward no. 18 Patel Ward.**

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh
R. K. KARTIKEY, Dy. Secy.